

जनपद रायबरेली की भ्रमण निरीक्षण आख्या

भ्रमण टीम— मनीष कुमार सोनी, परामर्शदाता परिवार नियोजन आजम खॉन मॉनिटरिंग एण्ड डाक्यूमेन्टेशन आफिसर, सी.पी. परमहंस कुशवाहा, कार्यक्रम समन्वयक—आर.बी.एस.के.	दिनांक— 13 से 15.03.2018 स्थान — जनपद— रायबरेली
--	--

दिनांक— 13.03.2018

डी.पी.एम.यू.

डी0पी.एम.यू. कार्यालय में ए.सी.एम.ओ. आर.सी.एच., डी.पी.एम., डैम, क्वालिटी कंसल्टेण्ट, अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर एवं अन्य डी0पी.एम.यू. स्टॉफ के साथ बैठक की गयी एवं वर्ष 2017-18 में जनपद को प्राप्त कुल धनराशि की मद वार एवं पूर्व वर्ष की कमिट धनराशि की मद वार व्यय विवरण की अध्यतन स्थिति पर समीक्षा की गयी जिसमें जनपद को वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों में मद वार प्राप्त कुल धनराशि 7159.12 लाख के सापेक्ष 6693.00 लाख का व्यय माह मार्च 2018 तक कर लिया जायेगा।

बैठक के दौरान निम्न मुख्य बिन्दु परिलक्षित हुए—

- जनपद के वर्ष 2017-18 के जिन मदों में धनराशि अधिक अवशेष है उस पर विस्तृत एवं गहन चर्चा की गयी।
- चर्चा उपरान्त कुल 160 मुख्य मदों को चिन्हित किया गया जिसमें 31 मार्च तक शत प्रतिशत व्यय करना संभव है।
- गहन समीक्षा के उपरान्त अवशेष धनराशि में लगभग रु0 26.00 करोड खर्च करने पर सहमति जतायी गयी।
- डी0पी0एम.यू. द्वारा उपलब्ध कराये गये चिन्हित 160 मदों का विस्तृत सूचना संलग्न है।

सी.एम.ओ. कार्यालय में सी.एम.ओ. की अध्यक्षता में जनपद स्तर के नेशनल प्रोग्राम के समस्त नोडल अधिकारी— के साथ बैठक कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा किया गया—

- एस.पी.एम.यू. द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया गया, इसमें यह जोर दिया गया कि मार्च के अन्त तक शत प्रतिशत व्यय किया जाना अनिवार्य है।
- संबंधित कार्यक्रम में अवशेष धनराशि के व्यय पर चर्चा किया गया।
- चर्चा के दौरान एन.सी.डी. के **नोडल अधिकारी** द्वारा बताया गया कि एन.सी.डी. कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन की भर्ती न हो पाने के कारण इस मद में धनराशि अधिक अवशेष रह जायेगी।
- अंधता निवारण कार्यक्रम क **नोडल अधिकारी** द्वारा बताया गया कि जनपद में कार्यरत एन.जी.ओ. द्वारा चश्मे का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है इसलिए इस में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय कम दर्शाया गया है।
- **समस्त नोडल अधिकारियों** द्वारा उपलब्ध करायी सूचना संलग्न है।

दिनांक— 14.03.2018

ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का मद वार, भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा ए.सी.एम.ओ. आर.सी.एच., की अध्यक्षता में की गयी जिसमें समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी/प्रतिनिधि, जिला कार्यक्रम

प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला एच0एम0आई0एस0 आपरेटर, समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, समस्त ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त ब्लाक लेखा प्रबन्धक व ब्लाक लेखा लिपिक समस्त ब्लाक कम्प्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक इत्यादि उपस्थिति रहे। बैठक में वर्ष 2017-18 में ब्लाकों को प्रत्येक मदों में प्राप्त धनराशि का भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान हेतु निम्नानुसार चर्चा किया गया व सुझाव दिया गया—

- एस.पी.एम.यू द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया गया, यह जोर दिया गया कि मार्च के अन्त तक शत प्रतिशत व्यय किया जाना अनिवार्य है।
- संबंधित कार्यक्रम में अवशेष धनराशि के व्यय पर चर्चा किया गया।
- जेएसवाई, जेएसके, मानदेय, अनटाइड फण्ड, सास बहु सम्मेलन, बायोमेडिकल वेस्ट, प्रोक्योरमेन्ट आदि मदों पर चर्चा करके बताया कि किसी भी मद में पेण्डिंग भुगतान नहीं होना चाहिए।
- समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, द्वारा बताया गया कि वी.एच.एन.सी. मद में खर्च न होने कारण है कि ज्यादातर ए.एन.एम. संविदा कर्मी है इसलिए खाते से धनराशि नहीं निकल पा रही है।
- आगामी वर्ष धनराशि कमिट न कराने हेतु सुझाव दिया गया।
- हरिचन्द्रपुर ब्लाक में आर.के.एस. का रिन्यूअल अभी तक नहीं कराया गया है जिससे भुगतान नहीं हो पा रहा है, इस पर सुझाव दिया गया कि जल्द से जल्द रीन्यूअल करा लिया जाए।
- खीरो ब्लाक में 28 वी.एच.एन.सी. को जिले स्तर से धनराशि नहीं अवमुक्त की गयी है।
- ज्यादातर एम.ओ.आई.सी. को प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय के संदर्भ में पूरी जानकारी नहीं थी। इस हेतु उन्हें एक्सेल फार्मेट में डाटा मैनेजमेन्ट के बारे में बताया गया तथा समय-समय से अपडेट करते रहने हेतु सुझाव दिया गया।
- समस्त प्रतिभागियों को सुझाव दिया गया कि भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय किया जाना अनिवार्य है।
- एस.पी.एम.यू द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ब्लाकवार सिगनेटरी के विस्तृत सूचना निम्नवत है—

क्रम सं०	ब्लाक का नाम	प्रथम सिगनेटरी नाम एवं पद	द्वितीय सिगनेटरी नाम एवं पद	वित्तीय लेखा कार्य नाम एवं पद
1	बछरावा	डा० अनिल कुमार बैजल, एम०ओ०आई०सी०	नन्दलाल, एच.ई.ओ.	स्वतंत्र कुमार, कनिष्ठ लिपिक व दीपक कुमार चौरसिया, BAM
2	अमावों	डा० दीलीप सिंह, एम०ओ०आई०सी०	जुगलेश कुमार विश्वकर्मा, एच.ई.ओ०	कप्तान सिंह, BAM
3	राही	डा० राजीव कुमार, एम०ओ०आई०सी०	डा० एस०के० पाण्डेय, एच०ई०ओ०	रश्मी, BAM
4	जतुआ टप्पा	डा० ब्रजेश, एम०ओ०आई०सी०	डा० जय प्रकाश, एम०ओ०	अबिनाश, LT एवं आतिफ, BAM

5	हरचन्द्रपुर	डा० राजीव कुमार गौतम, एम०ओ०आई०सी०	डा० सचिनराज निगम, एम०ओ०	सुनील कुमार, LDC
6	डलमऊ	डा० वी०के० चौहान, एम०ओ०आई०सी०	ललित कुमार मिश्रा, एच०ई०ओ०	रविशंकर, HS एवं वीरेन्द्र कुमार, BAM
7	डीह	डा० आर०के० तिवारी, एम०ओ०आई०सी०	डा० अमित सचान, एम०ओ०	सिवेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ लिपिक एवं कांशीराम, BAM
8	नसीराबाद	डा० आनन्द शेखर, एम०ओ०आई०सी०	डा० मोहित सिंह, एम०ओ०	राजकुमार मौर्या, BAM एवं बालकिशुन, एन०एम०ए०
9	सलोन	डा० प्रद्युम कुमार बैरवार, एम०ओ०आई०सी०	रतनाकर पाण्डेय, एच०ई०ओ०	उदयभान, एच०ई०ओ० एवं रामरतन यादव ए०आर०ओ०
10	महाराजगंज	डा० राधाकृष्ण, एम०ओ०आई०सी०	डा० भौवेश, एम०ओ०	सुशील कुमार त्रिपाठी, LDC
11	शिवगढ़	डा० लक्ष्मीप्रसाद सोनकर, एम०ओ०आई०सी०	डा० प्रवीन पाल, एम०ओ०	सौरभ श्रीवास्तव, BAM एवं संदीप कुमार, NMA
12	जगतपुर	डा० मनोज गुप्ता, एम०ओ०आई०सी०	संजीव गुप्ता, एच०ई०ओ०	लालबहादुर, BAM
13	ऊँचाहार	डा० रामबहादुर यादव, एम०ओ०आई०सी०	ओमप्रकाश शर्मा, एच०ई०ओ०	रमाकान्त वर्मा, BAM
14	सरेनी	डा० अमल कुमार, एम०ओ०आई०सी०	ओमप्रकाश शर्मा, एच०ई०ओ०	जमुना प्रसाद वैद्य, BAM एवं आशाकुमार वर्मा, LDC
15	लालगंज	डा० अनवारूल हक, एम०ओ०आई०सी०	डा० संजय कुमार सिंह, एम०ओ०	दया शंकर मौर्या, BAM एवं भुपेन्द्र सिंह, LDC
16	खीरों	डा० भौवेश सिंह, एम०ओ०आई०सी०	डा० विसाल गौतम, एम०ओ०	रितेश, BAM एवं शमशुदीन, LDC

दिनांक— 15.03.2018

ब्लाक बझारोंवा—

- ब्लाक बझारोंवा में विजिट के दौरान पाया गया कि आशा का मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर व्यवस्थित पाया गया तथा आशा का औसत भुगतान राज्य औसत भुगतान से अधिक है।
- रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर राज्य स्तर से ब्लाक को उपलब्ध कराया गया था परन्तु अन्य रजिस्टर में बैठक का कार्यवृत्त लिखा जा रहा था। सुझाव दिया गया है कार्यवृत्त संबंधित रजिस्टर में ही लिखा जाये।

- जे.एस.वाई. मद 50 से ज्यादा लाभार्थियों की सूचना उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा पा रहा है। सुझाव दिया गया है आशा के माध्यम से तत्काल सूचना मंगाकर भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

जिला महिला चिकित्सालय—

- मुख्य चिकित्सा अधीक्षका को एन.एच.एम. से प्राप्त धनराशि के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। इसके संबंध में जिला लेखा प्रबंधक को बुलाकर फण्ड एंव दिशा निर्देश की प्रति अधीक्षक को उपलब्ध करावाया गया।
- लेखा लिपिक के उपर कार्य की अधिकता होने कारण एन.एच.एम. फण्ड की धनराशि समय से व्यय नहीं की जा पा रही है। इस पर सुझाव दिया गया कि अप्रैल से एन.एच.एम का लेखा कार्य दूसरे सहायक से कराया जाये जिससे भुगतान आदि का कार्य ससमय कराया जा सके जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षका द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

जिला चिकित्सालय—

- ब्लड बैंक हेतु उपकरण एजेन्सी द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा राज्य स्तर उपकरण के ए.एम.सी. हेतु भी धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि उक्त मद में उपलब्ध धनराशि का व्यय नहीं हो पायेगा।
- बिजली की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण पी.ओ.एल मद की धनराशि नहीं व्यय की जा पायेगी।

भ्रमण टीम—

हस्ताक्षर


मनीष कुमार सोनी

.....



आजम खॉन .

.....



परमहंस कुशवाहा,

.....

